

(51)

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 645 दिनांक:- 13.6.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- C.C.L का नया प्रस्ताव K.D.H परियोजना हेतु 126.72 हे० वनभूमि (84.35 हे० अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे० GMJJ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।

- प्रसंग :-**
1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 2185 दिनांक 24.05.2017 तत्संबंधी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 2371 दिनांक 31.05.2017
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 617 दिनांक 11.04.2017
 3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 792 दिनांक 02.04.2018
 4. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 989 दिनांक 14.05.2018

महाशय,

उपयुक्त विषयगत परियोजना अपयोजन प्रस्ताव में राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र-1 द्वारा 8 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के पत्रांक 792 दिनांक 02.04.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 449 दिनांक 29.04.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों को Authentication हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल को निर्देशित किया गया था। इस संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 989 दिनांक 14.05.2018 द्वारा Authenticated अभिलेख प्राप्त हुयी है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :-

Sl.No.	Query Raised	Compliance
1	Details of total Lease Area of KDH OCP	Details of leased hold area given by user agency is as under :- Total Area Under Lease - 717.17 Ha Forest Land - 514.64 Ha, Non Forest Land - 202.53 Ha., Details of Forest Land - 514.64 Ha.
2	Copy of Approved Mining Plan	Enclosed as Annexure -III
3	Proposal for Diversion of Safety Zone.	Safety Zone has been included in 126.72 ha. Details shown in land use plan.
4	Copy of Land Schedule signed by DFO, Ranchi and corresponding FRA certificate and NOC for GMJJ Land.	As desired authenticated land schedule enclosed as Annexure-VII . FRA certificate and NOC for GMJJ land in enclosed as Annexure-VIII .
5	Comments of Chief Wild-Life Warden.	CWLW has been requested for his comment vide this office letter no. 623 dated 08.06.2018.
6	Ten year plan for Compensatory Afforestation	10 years plan for compensatory Afforestation is being enclosed.

7	Tree Enumeration Report and Report of Part II para 5.	Joint Tree enumeration has been completed and list of 4418 trees of different species duly certified by DFO in enclosed herewith as Annexure-I .
8	Re-examine Eco-class in clause-4 of Part-II of the proposal, if needed – rectify it.	Not required.

विषयगत प्रस्ताव में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 243 दिनांक 29.03.2017 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को भेजी गयी थी। उनके कार्यालय पत्रांक 617 दिनांक 11.04.2017 द्वारा 6 बिन्दुओं पर विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। इस संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से प्राप्त विसंगतियों का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 623 दिनांक 08.06.2018 द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को उपलब्ध कराते हुए परियोजना प्रस्ताव पर मंतव्य देने हेतु उनसे अनुरोध किया गया है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दी जायेगी।

अतः राज्य सरकार के पृच्छा का प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को इस कार्यालय के पत्रांक 623 दिनांक 08.06.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर अपना सुमंतव्य से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को देने की कृपा की जाय।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 645

दिनांक 13.6.18

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11-6-2018
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

11-6

olc

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची– 834002

e-mail- rccfranchi@gmail.com, Ph. (0651) 2481907

झारखण्ड सरकार

पत्रांक १४१

दिनांक १५.५.१८

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:–

सी०सी०एल० के नया प्रस्ताव के०डी०एच० परियोजना हेतु 126.72 हे० वनभूमि (184.35 हे० अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे० जी०एम० जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:–

भवदीय का पत्रांक 449 दिनांक 19.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषयक वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के पत्रांक 1128 दिनांक 12.05.2018 द्वारा विषयांकित अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। भवदीय के पत्रांक 449 दिनांक 19.04.2018 द्वारा उठाये गए आपत्ति के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के पत्रांक 1467 दिनांक 04.05.2018 द्वारा उक्त परियोजना का वृक्षों की गणना सूची तथा नक्शा को Authenticate कर प्रतिवेदित किया गया है।

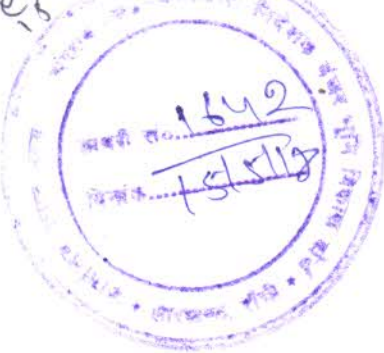
अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 1128 दिनांक 12.05.2018 द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन कुल 04 (चार) प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु०यथोक्त।

आपका विश्वासी,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

राँची।



६



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची ।

E-mail : cftc.ranchi@gmail.com Ph. & Fax - 0651 - 2481814 (O)

पत्रांक-792

दिनांक- 02-04-18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारिणी निदेशक, बंजर भूमि विकास
बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

C.C.L का नया प्रस्ताव K.D.H परियोजना हेतु 126.72 हे० वन भूमि (84.35 हे० अधिसूचित वन भूमि तथा 42.37 हे० GMJJ वन भूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।

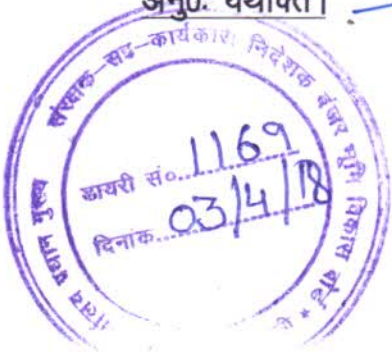
1. झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 2185 दिनांक 24.05.2017
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 617 दिनांक 11.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के प्रसंग में सूचित करना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने विभागीय प्रासंगिक पत्र-1 के आलोक में पृच्छित 8 (आठ) बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन/संबंधित अभिलेख भेजा है। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची ने प्रासंगिक पत्र-2 के आलोक में 6 (छः) बिन्दुओं का संबंधित प्रतिवेदन भेजा है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के पत्रांक-1058 दिनांक 28.03.2018 की छाया प्रति तथा अनुपालन प्रतिवेदन 6 (छः) प्रतियों में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न समर्पित किया जा रहा है।

अनु०: यथोक्त।



आपका विश्वासी,

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, राँची।

02/4

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 688 दिनांक:- 25.6.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- C.C.L का नया प्रस्ताव K.D.H परियोजना हेतु 126.72 हे० वनभूमि (84.35 हे० अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे० GMJJ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- 1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 2185 दिनांक 24.05.2017
2. इस कार्यालय का पत्रांक 645 दिनांक 13.06.2018
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1022 दिनांक 12.06.2018

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रस्ताव में राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा 8 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय का पत्रांक 645 दिनांक 13.06.2018 द्वारा भेजी गयी है। उक्त पत्र के क्रम संख्या-5 के संदर्भ में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य उनके पत्रांक 1022 दिनांक 12.06.2018 से प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु०:- यथोक्त। (तीन प्रतिलिपि में)

विश्वासभाजन

10/6/25.06.2018
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
25-6

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची।

Email : pccfwljhk@jharkhandmail.gov.in Phone No. 0651-2481744

पत्रांक...1022

दिनांक...12/06/18

सेवा में,

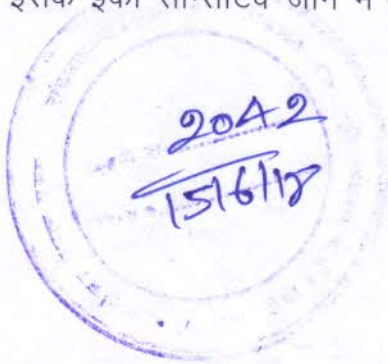
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय:- सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0
वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0एम0
जंगल-झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक 623 दिनांक 08.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में प्रतिवेदित करना है कि प्रस्तावित
वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी या गज आरक्ष का हिस्सा नहीं है एवं न ही
इसके इको सेन्सिटिव जोन में आता है।



विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

12/06/18
पु.व.स.
14/1